

आपदा एवं स्वच्छता और सफाई

डा. संजय कुमार

ऐसी कोई भी भौगोलिक घटना जिससे बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान होता है तथा जिसकी भरपाई स्थानीय संसाधनों से संभव न हो, आपदा की श्रेणी में आता है। आपदा तीन प्रकार के होते हैं- प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा एवं अन्य । विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों का मानना है कि कुल आपदाओं का 80 से 85% आपदा प्राकृतिक रूप में आता है। केवल 15 से 20% आपदा ही मानवकृत होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो सफाई ,मल और गंदे जल के निपटारे की स्वच्छतापूर्ण व्यवस्था हर मानव का अधिकार है , जिससे व्यक्ति का जीवन जीने के लायक रह सके। आपदा आने के बाद सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है। स्वच्छता और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। स्वच्छता की जगह अस्वच्छता और सफाई की जगह गंदगी ले लेती है। इसमें तुरंत सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, अन्यथा महामारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है।

सामान्यतः प्राकृतिक आपदा के दौरान उत्पन्न मलवों में शामिल होते हैं-

- ACM (e.g., asbestos pipe wrap, siding, and ceiling and floor tiles);
- Ammunition and explosives;
- Animal carcasses;
- Ash;
- Asphalt;
- Building contents (e.g., furniture, personal property);
- Commingled debris (i.e., a mixture of many debris types, such as C&D debris, vegetative debris, HHW, and building contents);
- C&D debris (e.g., mixed metals, masonry materials, concrete, lumber, asphalt shingles);
- Cylinders and tanks;

- Electronics waste (e-waste) (e.g., televisions, computers, cell phones);
- Food waste (e.g., rotten food from grocery stores, restaurants, and residences);
- Hazardous waste (e.g., batteries, pesticides, solvents, paint thinners, mercury-containing devices); • HHW (e.g., household cleaners, freezer and refrigerator coolant);
- Lead-based paint; 31 planning for Natural Disaster Debris
- Marine or waterway debris; • Medical waste;
- Metals;
- Mixed waste (i.e., waste containing both radioactive and hazardous waste components);
- Municipal solid waste (MSW);
 - PCB-containing waste (e.g., transformers, capacitors, other electrical equipment);
 - Pharmaceuticals;
 - Radiological-contaminated waste (e.g., hospital equipment);
 - Scrap tires;
 - Soils, sediments, and sandbags;
 - Treated wood (e.g., utility poles, fencing, decks);
 - Used oil and oil-contaminated waste;
 - Vegetative debris (or green waste) (e.g., uprooted trees, branches, stumps, leaves);
 - Vehicles and vessels; and
 - White goods (i.e., household appliances, such as stoves, refrigerators, washers/dryers, air conditioner units).




सफाई की योजना बनाते वक्त स्थानीय प्रशासन को मल निकास तथा गंदे जल के निकास की व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। गंदा और मल जल के समुचित निकास हेतु विशेष योजनाएँ सरकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाई जाती है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण से है। नियोजित बस्तियों में इसके लिए उचित व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। दूसरी ओर , अनियोजित बस्तियों के लिए यह एक प्रमुख समस्या बन जाती हैं।



आपदा उपरांत स्वच्छता और सफाई

आपदा के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है। सफाई और स्वच्छता भी बुरी तरह दुष्प्रभावित हो जाता है। आपदा के कई रूप होते हैं। स्वच्छता और सफाई की आवश्यकता हरेक आपदा के बाद पड़ती है। बाढ़ के दौरान जलस्तर अधिक होने से मलजल निकास अवरूद्ध हो जाता है। अतः बाढ़ के पानी के हटने के बाद जल निकासी की व्यवस्था तुरंत करनी पड़ती है। इसी तरह भूकम्प आने के बाद प्रभावित क्षेत्र में इमारतों के अलावा अन्य कई प्रकार के मलवों का अंبار लग जाता है जिससे राहतकार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुनामी आने के उपरांत तटीय इलाकों में कचड़ों का अंبار लग जाता है। जिससे राहतकार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चक्रवात की स्थिति में जल निकास के साथ-साथ संचार व्यवस्था भी चरमरा जाती है। यत्र-तत्र गंदगी तथा मृत जानवरों को अविलम्ब हटाया जाना आवश्यक होता है। किसी तरह की आपदा के आने और उसके गुजर जाने के बाद प्रभावित इलाकों में कचड़ों तथा मृत जानवरों का यहाँ-वहाँ अधिक समय तक पड़े रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होता है। धीरे-धीरे मक्खी-मच्छड़ों का प्रकोप बढ़ने लगता है। ठोस कचड़ों का समुचित प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा पूरे क्षेत्र में महामारी फैलने की आशंका बढ़ने लगती है। इस परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि जल-मल निकास से जुड़ी नालियों की तेज गति से सफाई हो तथा टूटी हुई नालियों की मरम्मत की जाय। अवरूद्ध हो चुकी नालियों की सफाई की जानी चाहिए। जल-मल निकास की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में चलंत सुलभ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आपदा के अलावा कभी-कभी अत्यधिक वर्षा से भी जल-मल निकास अवरूद्ध हो जाता है।



मुम्बई और चेन्नई के अलावा पटना नगर की ऐसी जल जमाव की समस्या से रूबरू होने के उदाहरण मौजूद हैं। प्रभावित क्षेत्रों में महामारी नहीं फैले , इसके लिए स्वच्छता और सफाई की दृष्टि से पूरे इलाके में पड़े विभिन्न प्रकार के मलवों को तुरंत हटवाकर वहाँ पर ब्लीचिंग पावडर तथा चूना पावडर का छिड़काव किया जाना चाहिए।